




Form No. III

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (मुकाम) मारवाड़ जंक्शन

देवीसिंह etc बनाम श्री मति कंवरी etc

किस मुकदमा राजस्व वाद

नं. 99 सन् 2012

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिजिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
1-X-2012	<p>वकील वादी उपस्थित । वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 17-X-2012 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन </p> <p>17-X-2012 पत्रावली पेश हुई। आवेदन सुनेन्द्र शर्मा वर प्रतिवादी संख्या 3, 6, 10 से 15 तक, एवं 17 की ओर से वकालतनामा पेश किया जो शा. पत्रा. है। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7, 16, 21 से 24 तक सम्मन अदम्यतागील लोटे हैं वकील वारी फुल P/F सम्मन पेश करे। पेश होने पर जारी हो। प्री. सं-25 के फौत होते की रिपोर्ट होते से का. नं. नार्थवाली वकील वादी करे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 19-11-2012 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  19-11-2012 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश -22 नियम 4 सहायिका धारा 151 CPC का पेश किया जो शा. पत्रा. है। वकील वादीगण द्वारा P/F सम्मन पेश किये शेष प्रतिवादीगण के जो जारी हो। वकील प्रतिवादी वास्तो जबाब समझ नकरते हैं। अतः पत्रावली आयन्दा दिनांक 10-12-2012 को पेश हो। </p> <p style="text-align: center;">  10-12-2012 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी वास्तो जबाब शा. पत्रा. समझ नकरते हैं। अतः पत्रावली वास्तो जबाब एवं वस्तु </p>	<p>817 11/12</p> <p>श्री जयसिंह नाराज सिंह</p> <p>Jul</p> <p>1132 19/11/2012</p>

61 Plus

पत्रावली 13/8/19
आज पत्रावली का नजिस्ट्रेशन
अन्वय से खसक है/ 1/2 गण
वेतक ने पधारें हुए है/ 3/3
अतः पत्रावली आवन्ता
दिनांक 13/8/19

रिजि
डप खण्ड अधिकारी का नजिस्ट्रेशन
मारवाड जं. 18/8

13/8/19

पत्रावली आज पेश हुई वकील वादी
अनु। वादी पक्ष अनु। वकील प्रतिवादी अनु।
वकील वादी को दिनांक 12/4/19 के प्रयास
अवलर दिये जाने के बावजूद अनु।, बाव
दी-वादी पक्ष को पुर्व में दिनांक 16/7/19
को नोटिस जारी किये गए जिनमें वादी
लं. 3 घ-ने सिधे के माग हुए लक्ष्मी देवी का
नोटिस विधिवत लामिल हुआ यह हुआ जबकि
अ-य वादीगण के सम्मत चल्पाशुका/ लक्ष्मीगण
मात लक्ष्मीक शका प्राप्त हुए, जिनसे यह
जाहिर होता है कि वादीगणकी हज्जात उमरण
में कोई खचि नहीं है तथा वाद का
अंगे चलया जाता ओ न्यायोचित उचित नहीं
होता है अतः हज्जात उमरण को अलग
आदेश 9 मिथक 8 के तहत खारीज किया
जाता है। मिकल कैमल शमार होकर नभर
ले कम है।

निर्णय आज दिनांक 13/8/19 को करे इतना
सुनाया गया

जय. लाल मर
13/8/19

पत्रावली 13/8/19
आज पत्रावली का नजिस्ट्रेशन
अन्वय से खसक है/ 1/2 गण
वेतक ने पधारें हुए है/ 3/3
अतः पत्रावली आवन्ता
दिनांक 13/8/19

